

प्रेषक

निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

सेवा में

राज्य जन सूचना अधिकारी,  
कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 12/14-2007 अस्था 0 II (4)  
दिनांक, चण्डीगढ़। 11/12/07

विषय: आर.टी.आई. एक्ट 2005, के तहत श्रीमति कान्ता कुमारी (रिवाड़ी) द्वारा  
मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने बारे।

-0-

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 2/88-07 आर.टी.आई. ( )

दिनांक 6-11-07 के सन्दर्भ में।

मांगी गई सूचना:-

- 1) दूरस्थ शिक्षा माध्यम से कोर्स करने के लिए केवल डी.डी.ओ. की अनुमति लेनी होती है ताकि परीक्षा के समय अवकाश प्राप्त करने में बाधा न आये।
- 2) अतिरिक्त विषय की परीक्षा देना हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
- 3) एक बार में आकस्मिक अवकाश यदि देय है तो 15 दिन तक का स्वीकृत किया जाता है इससे अधिक अवकाश के लिये अर्जित अवकाश स्वीकृत करवायें।
- 4) सरकार द्वारा जारी पत्र 05350-जी.एस.-II 72/2906 दिनांक 13.16-10-72 (एति संलग्न है।)
- 5) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय से मन्त्रालय द्वारा की जाने वाली डिग्री या डिप्लोमा में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है तथा इस बारे में अवकाश लेते समय सादे कागज पर भरकर दे सकते हैं।

(14-11-07) 11/12/07

रजिस्ट्रार शिक्षा (प्रा.)

कृते: निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।